

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2011

का.नि.आ. 17.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के निम्नलिखित कार्यालय को, जिनके 80% से अधिक कर्मचारी-वृंद ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :—

गैस टरबाइन अनुसंधान स्थापन,  
रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन,  
पत्र पेटी सं. 9302, सी वी रमन नगर,  
बैंगलूर-560093

[फा. सं. 1(1)/2011-रक्षा (रा.भा.-1)]

उपमन्यु चटर्जी, संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण)

New Delhi, the 3rd March, 2011

S.R.O. 17.—In pursuance of Sub-rule (4) of the Rule 10 of the Official Languages (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following office of Defence Research and Development Organisation more than 80% staff whereof have acquired working knowledge of Hindi :—

Gas Turbine Research Establishment,  
Defence Research and Development Organisation,  
Post Box No. 9302, C. V. Raman Nagar,  
Bangalore-560093

[F.No. 1(1)/2011-D(OL-1)]

UPAMANYU CHATTERJEE, Jt. Secy. (Trg.)

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2011

का.नि.आ. 18.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और तटरक्षक (ज्येष्ठ सिविलियन स्टाफ अधिकारी), समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2002 और तटरक्षक (सिविलियन स्टाफ अधिकारी और सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी) भर्ती नियम, 2000 को, जहां तक उनका संबंध सिविलियन स्टाफ अधिकारी के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के अधीन तटरक्षक संगठन में ज्येष्ठ सिविलियन स्टाफ अधिकारी और सिविलियन स्टाफ अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम तटरक्षक (ज्येष्ठ सिविलियन स्टाफ अधिकारी और सिविलियन स्टाफ अधिकारी) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विनियमों के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके विनियमों के अधीन शिथिल करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्ति की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. ज्येष्ठ सिविलियन स्टाफ अधिकारी	7* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-3 रु. 15600— 39100 + ग्रेड वेतन रु. 7600	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
--	--	--	----------------------------------

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)

प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति : वेतन बैंड-3, 15600—39100 रु. और ग्रेड वेतन 6600 रु. में ऐसा  
सिविलियन स्टाफ अधिकारी जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की  
हो।

टिप्पणी : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक  
या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो,  
वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह  
तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक  
या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो,  
कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी  
अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में  
प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :

- (क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3, 15600—39100 रु. वेतन और ग्रेड वेतन 6600 रुपए या समतुल्य में नियमित आधार पर, उस पद पर, नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास प्रशासन, स्थापना और लेखा विषयों में दस वर्ष का अनुभव है।

टिप्पण : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

1. अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय —सदस्य
3. उपमहानिदेशक, तटरक्षक मुख्यालय —सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. सिविलियन स्टाफ अधिकारी	28* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-3 रु. 15600—39100 + ग्रेड वेतन रु. 6600	चयन	लागू नहीं होता
(7)	(8)	(9)	(10)		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष		
(11)			(12)		

प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति : वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. और ग्रेड वेतन 4600 रु. में कार्यरत ऐसा अनुभाग अधिकारी जिसने उस श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा की हो।

(12)

**टिप्पणी :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

**प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :—

- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में बैंड-3, 15600-39100 रु. वेतन और ग्रेड वेतन 5400 रुपए या समतुल्य में नियमित आधार पर, उस पद पर, नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; या
- (iii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में बैंड-2, 9300-34800 रु. वेतन और ग्रेड वेतन 4800 रुपए या समतुल्य में, नियमित आधार पर, उस वेतन पर, नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छः वर्ष नियमित सेवा की हो; या
- (iv) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में बैंड-2, 9300-34800 रु. वेतन और ग्रेड वेतन 4600 रुपए या समतुल्य में, नियमित आधार पर, उस पद पर, नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा की हो।

(ख) जिनके पास प्रशासन, स्थापना और लेखा विषयों में दस वर्ष का अनुभव है।

**टिप्पण :** पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस-नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(13)

प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति, समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

- |  |          |
|--|----------|
| 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग      | —अध्यक्ष |
| 2. संयुक्त सचिव (नौसेना), रक्षा मंत्रालय | —सदस्य   |
| 3. उपमहानिदेशक, तटरक्षक मुख्यालय         | —सदस्य   |

(14)

प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

- [फा. सं. सीपी/0601/एस सी एस ओ/सी एस ओ/351/डी(सीजी-आर)/2011]

संजय कुमार ओझा, निदेशक (नौसेना-II)

New Delhi, the 28th February, 2011

**S.R.O. 18.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Coast Guard (Senior Civilian Staff Officer) Group 'A' post Recruitment Rules, 2002 and the Coast Guard (Civilian Staff Officers and Assistant Civilian Staff Officers) Recruitment Rules, 2000 in so far as they relate to the post of Civilian Staff Officer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Senior Civilian Staff Officer and Civilian Staff Officer of the Coast Guard Organization under the Ministry of Defence, namely :—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Coast Guard (Senior Civilian Staff Officer and Civilian Staff Officer) Group 'A' posts Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of posts, classification and Pay Band and Grade Pay/Pay Scale.**—The number of the said posts, the classification and the pay band and grade pay/pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age limit and qualification, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

**4. Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, may, by order and for reasons to be recorded in writing in consultation with Union Public Service Commission to relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

**6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether Selection post or Non-selection posts	Whether benefits of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pensions) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Senior Civilian Staff Officer	7* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial	Pay Band-3, Rs. 15600—39100 plus Grade Pay Rs. 7600	Selection	Not applicable	Not applicable
Educational and other qualifications required for direct recruits				Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any
(8)				(9)		(10)
Not applicable				Not applicable		Not applicable

**Method of recruitment:** Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the vacancies to be filled up by various methods

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made

(11)

(12)

By promotion failing which by deputation.

**Promotion:** Civilian Staff Officer in Pay Band-3 of Rs. 15600—39100 with Grade Pay of Rs. 6600 with five years regular service in the grade.

**Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**Deputation:**

Officer under the Central Government:

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or
- (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Pay Band-3 of Rs. 15600—39100 with Grade Pay of Rs. 6600 or equivalent in the parent cadre/department; and
- (b) possessing total ten years experience in administration, establishment and accounts matters.

**Note:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(13)

(14)

**Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering Promotion consisting of:—**

Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

- 1. Chairman/Member Union Public Service Commission —Chairman
- 2. Joint Secretary, Ministry of Defence —Member
- 3. Deputy Director General, Coast Guard Headquarters —Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Civilian Staff Officer	28* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial	Pay Band-3, Rs. 15600—39100 plus Grade Pay Rs. 6600	Selection	Not applicable	Not applicable
	(8)		(9)		(10)	
	Not applicable		Not applicable		Two years for promotees.	
	(11)				(12)	

By promotion failing which by deputation.

**Promotion :**

Section Officers in Pay Band-2 of Rs. 9300—34800 with Grade Pay of Rs. 4600 with seven years regular service in the grade.

**Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**Deputation :**

Officers under the Central Government :

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or
- (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Pay Band-3 of Rs. 15600—39100 with Grade Pay of Rs. 5400 or equivalent in the parent cadre/department; or
- (iii) with six years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Pay Band-2 of Rs. 9300—34800 with Grade Pay of Rs. 4800 or equivalent in the parent cadre/department; or
- (iv) with seven years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Pay Band-2 of Rs. 9300—34800 with Grade Pay of Rs. 4600 or equivalent in the parent cadre/department; and
- (b) possessing total five years experience in administration establishment and accounts matters.

**Note :** The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall

(12)

ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

(13)

**Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering Promotion consisting of:—**

1. Chairman/Member, Union Public Service Commission —Chairman
2. Joint Secretary (Navy); Ministry of Defence —Member
3. Deputy Director General, Coast Guard Headquarters —Member

(14)

Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

[F.No. CP/0601/SCSO/CSO/351/D(CG-R)/2011]

SANJAY KUMAR OJHA, Director (Navy-II)